सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-332/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 29 अगस्त 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-बरदह

थाना बरदह का टाप 10 अपराधी सौरभ राय ,अवैध असलहा,कारतुस साथ गिरफ्तार

थाना बरदह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया **अभियुक्त सौरभ राय पुत्र वृजनाथ राय** ग्राम तम्मरपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ एक शातिर किस्म का अपराधी है। जो थाना स्थानीय का टाप टेन अपराधी है। अभियुक्त उपरोक्त सौरभ राय पर जनपद में हत्या,लूट,हत्या का प्रयास,अवैध शस्त्र रखने जैसे अपराध कारित करता है। जिसके सम्बन्धित जनपद के थाना देवगांव,दीदारगंज तथा बरदह पर कई मुकदमें दर्ज है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अभ्यत अपराधियो एव वांछितो के गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद आजमगढ श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के निर्देशन आज दिनांक 28.8.2020 को प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराह चेकिग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन तथा वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के क्रम में सरायमोहन की तरफ जा रहे थे तभी मुखबीर ने सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति बेसो नदी के पुल पर असलहे के साथ खडा है किसी घटना कारित करने की फिराक में है।इस सूचना पर पुलिस बल बेसो नदी पुल पर पहुचा तो एक व्यक्ति वहां पर पहले से मौजूद था जो कि पुलिस वालों को देखकर भागने लगा। पुलिस फोर्स द्वारा उसे घेरकर समय 18.10 गिरफ्तार किया गया । पकड़े हुए व्यक्ति नाम पता पूछा गया तो उसने अपना सौरभ राय पुत्र वृजनाथ राय ग्राम तम्मरपुर थाना बरदह आजमगढ़ बताया। जामातलाशी से उसके कब्जे से एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में उससे अधिकार पत्र मांगा गया तो वह अपने गलती की माँफी माँगने लगा। अभियुक्त थाना स्थानीय का टाप टेन अपराधी है तथा वह हत्या,लूट,हत्या का प्रयास जैसे कई घटनाए कारित कर चुका है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-207/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- सौरभ राय पुत्र वृजनाथ राय ग्राम तम्मरपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

1- मु0अ0सं0- 207/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 110/17 धारा 302 ,394 भादवि थाना देवगाव जनपद आजमगढ।
2. मु0अ0सं0 137/15 धारा 392 भादवि थाना दीदारंगज जनपद आजमगढ।
3. मु0अ0सं0 138/15 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ।
4. मु0अ0सं0 336/12 धारा 307 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ।
5. मु0अ0सं0 209/13 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बरदह जनपद आजमगढ।
6. धारा 3(1) गुण्डा एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ।

बरामदगी

1- एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1- प्र0नि0 विनोद कुमार थाना बरदह मय हमराह जनपद आजमगढ।

2- उ0नि0 संजय सिह मय हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ।

<u>थाना बरदह</u>

<u>डी-69 गैग का सदस्य एवं हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त परवेज गिरफ्तार</u>

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अभ्यत अपराधियो एव वांछितो के गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद आजमगढ श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के निर्देशन आज दिनांक 28.8.2020 को प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 187/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ से संबंधित वांछित अभियुक्त परवेज पुत्र फिरोज को उसके घर ग्राम बक्शपुर से समय करीब 05.20 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। पुछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त उपरोक्त डी-69 गैग का सदस्य एवं हिस्ट्रीशीटर है। जिसका लीडर फैजान उर्फ गुल्लू पुत्र कयूम ग्राम बक्शपुर थाना बरदह आजमगढ है। गैंग के अन्य सदस्य 1.सोफियान उर्फ सोनू पुत्र नईम ग्राम बक्शपुर थाना बरदह आजमगढ 2.आलम पुत्र इरशाद ग्राम उसरीखुर्रमपुर थाना बरदह आजमगढ 3.अबुजैश उर्फ आमिर उर्फ करिया पुत्र कयूम ग्राम बक्शपुर थाना बरदह आजमगढ है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि आर्थिक भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपने साथियो के साथ अपराध कारित करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- परवेज पुत्र फिरोज ग्राम बक्शपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 356/17 धारा 419,420,467,468 471 भादवि व 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ ।
2. मु0अ0सं0 190/18 धारा 380,457 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ।
3. मु0अ0सं0 216/18 धारा 41,411 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ।
4. मु0अ0सं0 194/18 धारा 380,457 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ।
5. मु0अ0सं0 187/2020 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ।
6. धारा 3(1) गुण्डा अधि0 दिनाँक 09.05.2020 थाना बरदह जनपद आजमगढ।
7. धारा 110 एसीआपीसी दिनाँक 13.04.2020 थाना बरदह जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1- प्र0नि0 विनोद कुमार थाना बरदह मय हमराह जनपद आजमगढ।